छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 316/2006</u>

श्री गोविन्द राम वर्मा,
मोतीपुर, चौकी पारा, वार्ड नं. 6,
कृपा सिन्धु आश्रम,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जन सूचना अधिकारी,
संचालक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::
(दिनांक 24 अक्टूबर 2006)

अपीलार्थी श्री गोविन्द राम वर्मा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री को दिनांक 06–01–2006 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वर्ष 1990–1991 एवं 1991–1992 में शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में उच्च श्रेणी लिपिक की पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण तथा दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ प्रदान की जावे। जन सूचना अधिकारी के द्वारा व्यापक लोकहित में सन्निहित न होने तथा प्रतिपक्ष से संबंधित जानकारी होने के फलस्वरूप अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकार किया, जिसकी सूचना दिनांक 20–01–2006 के द्वारा अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 08–04–2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की तथा दिनांक 22–05–2006 को पचास रूपए के नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा कोई निर्णय न होने के फलस्वरूप दिनांक 11–08–2006 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को नोटिस जारी किये गये। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत नहीं की है। जन सूचना अधिकारी का निर्णय दिनांक 20–01–2006 को हुआ तथा प्रथम अपील 22–05–2006 को स्टॉम्प शुल्क जमा कर प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी का यह तर्क था कि नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प उपलब्ध न होने के फलस्वरूप वह निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। न्यायहित में इसे स्वीकार कर अपीलार्थी की द्वितीय अपील मान्य की जाती है।

4/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकों के बहस सुनी गई। अपीलार्थी ने विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण चाहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(जे) के अंतर्गत दिया जाना लोकहित में आवश्यक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में अन्य व्यक्तियों से भी संबंधित जानकारी होती है तथा इसका प्रकटीकरण किया जाना जनहित में आवश्यक नहीं है। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस पदोन्नति समिति की कार्यवाही में पदोन्नति करते समय भ्रष्टाचार हुआ है। अपीलार्थी ने ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये, जिससे कि उसका तर्क मान्य किया जा सके। अतः जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया निर्णय उचित एवं न्यायसंगत है, उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

5/ अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त